धन-कर

खंड 106 - विवरणियां न देने, सूचना का अनुपालन न करने और आस्तियों को छिपाने आदि के लिए शास्ति से संबंधित धन-कर अधिनियम की धारा 18 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंधों में धन-कर अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान धारा 16 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सूचनाओं का अनुपालन न करने के मामलों में और ऐसे मामलों में, जिनमें किन्हीं आस्तियों की विशिष्टियों को छिपाया गया है या किन्हीं आस्तियों या ऋणों की गलत विशिष्टियां दी गई हैं, शास्ति के उद्ग्रहण के लिए उपबंध है । उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में यह उपबंध है कि जहां कोई व्यक्ति, अपने मामले में शुद्ध धन की संगणना के लिए किन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों की बाबत स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है या ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो उपबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा मिथ्या पाया जाता है वहां उसके परिणामस्वरूप शुद्ध धन की संगणना करने में जोड़ी गई या अनुज्ञात न की गई रकम उन आस्तियों के मूल्य को प्रतिदर्शित करने वाली समझी जाएगी, जिनके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड का संशोधन किया जाए, जिससे कि खंड के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकारी के रूप में आयुक्त के प्रति निर्देश को उसमें सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

उक्त उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि किसी व्यक्ति का, जो पहले निर्धारित नहीं किया गया है, किसी वर्ष के लिए कराधेय शुद्ध धन पाया जाता है और वह उस अवधि की समाप्ति तक, जिसके लिए वह निर्धारणीय था, उस वर्ष के लिए विवरणी देने में असफल रहता है और धारा 17क की उपधारा (1) के अधीन विवरणी की उससे अपेक्षा करने वाली सूचना उसे जारी नहीं की गई थी, वहां उस व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस वर्ष के लिए अपनी आस्तियों की विशिष्टियों को छिपाया है या अपनी आस्तियों या ऋणों की गलत विशिष्टियां दी हैं।

यह प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्ति के, जो उक्त स्पष्टीकरण 3 के अधीन पहले निर्धारित नहीं किया गया है, प्रतिनिर्देश का लोप किया जाए जिससे कि उसके उपबंधों को ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू किया जा सके जो पहले निर्धारित किए गए हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा।

खंड 107 - जब निर्धारिती दावा करता है कि विधि का समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है तब प्रक्रिया से संबंधित धन-कर अधिनियम की धारा 18ग का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 18ग के विद्यमान उपबंध उन मामलों में विशेष प्रक्रिया के लिए उपबंध करते हैं, जहां कोई निर्धारिती, यह दावा करता है कि उसके मामले में किसी निर्धारण वर्ष के लिए उद्भूत कोई विधि का प्रश्न, जो निर्धारण अधिकारी या किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, उसके मामले में अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उद्भूत विधि के प्रश्न के समरूप है, जो धारा 27 के अधीन किसी निर्देश पर उच्च न्यायालय के समक्ष या उच्चतम न्यायालय के समक्ष अथवा धारा 29 के अधीन अपील में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है । ऐसे मामलों में, निर्धारिती, यह घोषणा प्रस्तुत कर सकेगा कि यदि, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अपील प्राधिकारी, सुसंगत मामले में विधि के प्रश्न पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अंतिम विनिश्चय को लागू करने के लिए सहमत हो जाता है तो निर्धारिती, सुसंगत मामले में ऐसे विधि के प्रश्न को अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में अथवा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी निर्देश के लिए या उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी अपील में नहीं उठाएगा।

उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित धारा 27क, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 द्वारा धन-कर अधिनियम में अंतःस्थापित की गई थी । धारा 18ग की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि धारा 27क के अधीन उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित निर्देश उसमें सम्मिलित किया जा सके तथा धारा 18ग की उपधारा (4) में धारा 27 के निर्देश का लोप किया जा सके । यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

खंड 108 - धारा 22ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया से संबंधित धन-कर अधिनियम की धारा 22घ का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 22घ के विद्यमान उपबंधों के अधीन समझौता आयोग धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, मामले पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा। आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर और मामले की प्रकृति और परिस्थितियों अथवा उसमें अंतर्ग्रस्त अन्वेषण की जटिलता को ध्यान में रखते हुए समझौता आयोग या तो आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करने का या उसे नामंजूर करने का आदेश पारित करता है । जहां किसी आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात किया

जाता है वहां समझौता आयोग आयुक्त को ऐसी और जांच या अन्वेषण करने का निदेश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और परीक्षा के लिए आयुक्त से सुसंगत अभिलेख मांग सकेगा । सुसंगत अभिलेखों और आयुक्त की रिपोर्ट की परीक्षा करने के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समझौता आयोग ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों और उस धारा में निर्दिष्ट किसी अन्य विषय के संबंध में ठीक समझे ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग, जहां संभव हो, उस मास के, जिसमें धारा 22ग के अधीन ऐसा आवेदन किया जाता है, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर या तो आवेदन को नामंजूर करने या आवेदन पर कार्यवाही किए जाने को अनुज्ञात करने का आदेश पारित करेगा ।

यह और प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त धारा 22घ में एक नई उपधारा (4क) अंतःस्थापित की जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समझौता आयोग, जहां संभव हो, प्रत्येक आवेदन में उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसे आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात किया गया था, अंत से चार वर्ष की अवधि के भीतर, उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

खंड 109 - यदि निर्धारिती सहयोग नहीं देता है तो समझौता आयोग की मामले को निर्धारण अधिकारी को वापस भेजने की शक्ति से संबंधित धन-कर अधिनियम की धारा 22जक का लोप करने के लिए है ।

धारा 22जक के विद्यमान उपबंधों के अधीन समझौता आयोग में निर्धारण अधिकारी को मामला वापस भेजने की शक्ति निहित की गई है, यदि उसकी राय में निर्धारिती ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग नहीं किया है और ऐसे मामलों में निर्धारण अधिकारी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले का इस प्रकार निपटारा करेगा मानो धारा 22क के अधीन आवेदन नहीं किया गया है ।

यह प्रस्ताव है कि धारा 22जक का लोप किया जाए जिससे कि निर्धारण अधिकारी को मामला वापस भेजने की समझौता आयोग की शक्ति वापस ली जा सके ।

यह प्रस्ताव 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 110 - प्रतिदाय से संबंधित धन-कर अधिनियम की धारा 34क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंध के अधीन, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसरण में निर्धारिती को कोई प्रतिदाय देय है और निर्धारण अधिकारी, ऐसे आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, प्रतिदाय अनुदत्त नहीं करता है वहां केन्द्रीय सरकार, निर्धारिती को उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए देय प्रतिदाय की रकम पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज का संदाय करेगी।

उपखंड (क) उक्त उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि ब्याज की दर को नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम करके आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (4ख) के खंड (क) के विद्यमान उपबंध के अधीन जहां उक्त धारा के अधीन निर्धारिती को किसी रकम का प्रतिदाय देय हो जाता है, वहां वह उक्त रकम के अतिरिक्त उस पर उक्त खंड में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रति मास या मास के किसी भाग के लिए तीन बटा चार प्रतिशत की दर से संगणित साधारण ब्याज पाने का हकदार होगा ।

उपखंड (ख) उपधारा (4ख) के उक्त खंड (क) का संशोधन करने के लिए है जिससे ब्याज की दर को तीन बटा चार प्रतिशत से कम करके दो बटा तीन प्रतिशत की जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

व्यय-कर

खंड 111 - व्यय-कर अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अधिनियम के उपबंध ऐसे होटलों को लागू किए जा सकें, जिनमें निवास की जगह की किसी इकाई के लिए कमरा प्रभार प्रति व्यक्ति दो हजार रुपए प्रतिदिन या अधिक के स्थान पर तीन हजार रुपए या उससे अधिक है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा और तद्नुसार उस तारीख को या उसके पश्चात् उपगत व्यय के संबंध में लागू होगा ।

खंड 112 - प्रभार्य व्यय के अर्थ से संबंधित व्यय-कर अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन व्यय-कर, किसी निवास की जगह उपलब्ध कराने; निवासिक या अन्यथा; या खाद्य या पेय; या ऐसे होटल में भाड़े या पट्टे पर कोई वास सुविधा; या ब्यूटी पार्लर, स्वास्थ्य क्लब, तरण ताल या अन्य सेवाओं के रूप में होटल में कोई अन्य सेवाओं में उपगत प्रभार्य व्यय या किए गए संदायों पर उद्गृहीत किया जाता है।

उपखंड (ख) और उपखंड (घ) का लोप करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् प्रभार्य व्यय में, होटल द्वारा खाद्य या पेय उपलब्ध कराने, चाहे होटल में या उसके बाहर, अथवा होटल में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा; या होटल में कोई अन्य सेवाएं, चाहे होटल द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ब्यूटी पार्लर, स्वास्थ्य क्लब, तरण ताल या अन्य सेवाओं के रूप में हो, से संसक्त होटल में उपगत व्यय या उसे किया गया संदाय, सम्मिलित नहीं होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा और तद्नुसार उस तारीख को या उसके पश्चात् उपगत व्यय के संबंध में लागू होगा।

सीमाशुल्क

खंड 113 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है जिससे "बोर्ड" को, सीमाशुल्क अधिकारियों की नियुक्ति करने और सीमाशुल्क के सहायक सीमाशुल्क आयुक्त से अन्यून पंक्ति के अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन अनुज्ञात करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 114 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है जिससे,-

(क) ऐसी शर्त संशोधित की जा सके जिसके अधीन इस धारा के अधीन कीमत मूल्य समझी जाती है ;

(ख) बोर्ड को,-

(i) किसी वर्ग के आयातित मालों या निर्यात मालों के लिए टैरिफ मूल्य नियत करने के लिए;

(ii) विनिमय दर निर्धारित करने के लिए, सशक्त किया जा सके ;

और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अनुसार "विदेशी करेंसी" और "भारतीय करेंसी" की परिभाषा को सम्मिलित किया जा सके।

खंड 115 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को इस धारा के अधीन जारी की गई किसी छूट अधिसूचना या आदेश के विस्तार या लागू होने को स्पष्ट करने के लिए ऐसी अधिसूचना या आदेश के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचना या आदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके।

खंड 116 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक का संशोधन करने के लिए है जिससे शुल्क के विलंबित संदाय पर न्यूनतम ब्याज की दर को कम करके अठारह प्रतिशत से दस प्रतिशत किया जा सके ।

खंड 117 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कख का संशोधन करने के लिए है जिससे शुल्क के विलंबित संदाय पर न्यूनतम ब्याज की दर को कम करके अठारह प्रतिशत से दस प्रतिशत किया जा सके ।

खंड 118 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28झ का संशोधन उसमें से "किसी निवासी आवेदक की दशा में के सिवाय" शब्दों का लोप करने के लिए है जिससे ऐसे सभी आवेदनों को अपवर्जित किया जा सके जिनमें ऐसे प्रश्न अंतर्वलित हैं जो पहले से ही आवेदक के मामले में किसी सीमाशुल्क अधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हैं या उसी प्रकार के हैं जो मामले में सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के क्षेत्र से अपील अभिकरण या किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है ।

खंड 119 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है जिससे ब्याज मुक्त शुल्क संदाय की अवधि बढ़ाकर दो दिन से पांच दिन की जा सके और शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज की न्यूनतम दर को घटाकर अठारह प्रतिशत से दस प्रतिशत किया जा सके ।

खंड 120 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि,-

(i) सीमाशुल्क आयुक्त को शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम की दशा में भांडागारण की अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाने के लिए सशक्त किया जा सके जो वह ठीक समझे; और

(ii) सीमाशुल्क आयुक्त को किसी अन्य मामले में भांडागारण की अवधि को छह मास से अनधिक अवधि के लिए और मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त को उसे ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाने के लिए सशक्त किया जा सके, जो वह ठीक समझे ।

खंड 121 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ख का संशोधन करने के लिए है जिससे कि,-

(i) उस अवधि को, जिसके दौरान गलती के सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है, चार वर्ष से कम करके छह मास किया जा सके;

(ii) तीन वर्ष की ऐसी समय-सीमा का वहां उपबंध किया जा सके जहां यह संभव हो, जिसके भीतर अपील अधिकरण द्वारा अपील का विनिश्चय किया जाना चाहिए और यह भी उपबंध किया जा सके कि ऐसी दशा में जहां अधिकरण द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया है वहां अपील का निपटारा करने के लिए समय-सीमा एक सौ अस्सी दिन होगी और मामलों के निपटारा न किए जाने की दशा में अंतरिम आदेश के स्वतः शून्य हो जाने का उपबंध किया गया है ।

खंड 122 - सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ का संशोधन करने के लिए है जिससे कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश के पुनर्विलोकन की अवधि को, जहां संभव हो, एक वर्ष से कम करके छह मास किया जा सके।

खंड 123 - सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में धारा 8ख के पश्चात् धारा 8ग अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को चीन जनवादी गणराज्य से आयातों पर संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

खंड 124 - बजरे पर स्थापित विद्युत परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त सीमाशुल्क को भूतलक्षी रूप से 8 दिसंबर, 2000 से 28 फरवरी, 2002 तक की अवधि के भीतर (दोनों तारीखें सम्मिलित करते हुए) छूट प्रदान करने और तदनुसार संगृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क का प्रतिदाय करने के लिए है ।

खंड 125 - सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे-

(क) निम्नलिखित अध्यायों, शीर्षों और उपशीर्षों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत, आधारिक सीमाशुल्क को कम किया जा सके, अर्थात्:-

अध्याय 1, 2 (उपशीर्ष 0207.13 और 0207.14 के सिवाय), 3, 4 (उपशीर्ष 0402.10, 0402.21, 0405.10 और 0406.90 के सिवाय), 5, 6 (उपशीर्ष 0603.10, 0603.90, 0604.10, 0604.91 और 0604.99 के सिवाय), 7 (उपशीर्ष 0713.10 के सिवाय), 8 (उपशीर्ष 0801.11, 0801.19, 0802.11, 0802.12, 0802.90, 0805.10, 0805.40, 0805.50, 0806.10, 0808.10, 0808.20, 0809.40 और 0813.20 के सिवाय), 9 (उपशीर्ष 0903.00, 0905.00, 0906.10, 0906.20, 0908.10, 0908.20, 0909.10, 0909.20, 0909.30, 0909.40, 0909.50, 0910.10, 0910.20, 0910.30, 0910.40, 0910.50, 0910.91 और 0910.99 के सिवाय), 11 (उपशीर्ष 1107.10 के सिवाय), 12 (उपशीर्ष 1203.00, 1207.91, 1209.91 और 1209.99 के सिवाय), 13, 14, 15 (उपशीर्ष 1501.00, 1503.00, 1504.10, 1504.20, 1504.30, 1505.00, 1506.00, 1516.10, 1516.20, 1517.10, 1517.90, 1518.00, 1520.00, 1521.10, 1521.90 और 1522.00 के सिवाय), 16 (उपशीर्ष 1601.00 और 1602.32 के सिवाय), 17 (उपशीर्ष 1701.11, 1701.12, 1701.91, 1701.99 और 1704.10 के सिवाय), 18, 19 (उपशीर्ष 1901.10, 1905.31 और 1905.32 के सिवाय), 20 (उपशीर्ष 2004.10, 2009.11, 2009.12 और 2009.19 के सिवाय), 21, 22 (उपशीर्ष 2201.10, 2201.90, 2202.10, 2202.90, 2207.10, 2207.20, 2208.20, 2208.30, 2208.40, 2208.50, 2208.60, 2208.70, 2208.90 और 2209.00 के सिवाय), 23, 24, 25 (उपशीर्ष 2504.10, 2504.90, 2515.11, 2515.12, 2515.20, 2516.11, 2516.12, 2516.21, 2516.22, 2516.90, 2519.10, 2519.90, 2523.10, 2523.21, 2523.29, 2523.30 और 2523.90), 26 (उपशीर्ष 2620.11, 2620.19 और 2620.30), 27 (उपशीर्ष 2705.00, 2706.00, 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.50, 2707.91, 2707.99, 2708.10, 2708.20, 2709.00, 2710.11, 2710.19, 2710.91, 2710.99, 2712.10, 2712.20, 2712.90, 2713.11, 2713.12, 2713.20, 2713.90 और 2715.00), 28 (उपशीर्ष 2801.20, 2814.10, 2814.20 और 2845.10 के सिवाय), 29 (उपशीर्ष 2901.10, 2901.21, 2901.22, 2901.23, 2901.24, 2901.29, 2902.11, 2902.19, 2902.20, 2902.30, 2902.41, 2902.42, 2902.43, 2902.44, 2902.50, 2902.60, 2902.70, 2902.90, 2903.15, 2903.21, 2905.11, 2905.31, 2907.11, 2910.30, 2915.21, 2917.12, 2917.36, 2917.37, 2918.12, 2926.10, 2933.21 और 2933.71 के सिवाय), 30 (उपशीर्ष 3006.60 के सिवाय), 31 (उपशीर्ष 3102.21, 3102.50, 3104.30, 3105.20, 3105.30, 3105.40, 3105.51, 3105.59, 3105.60 और 3105.90 के सिवाय), 32 (उपशीर्ष 3201.10, 3201.20 और 3201.90 के सिवाय), 33, 34, 35, 36, 37 (उपशीर्ष 3702.32, 3702.39, 3702.42, 3702.43, 3702.44, 3707.10 और 3707.90), 38 (उपशीर्ष 3815.11, 3815.12, 3815.19, 3815.90, 3818.00 और 3823.70 के सिवाय) , 39, 40 (उपशीर्ष 4001.10, 4001.21, 4001.22, 4001.29 और 4011.30 के सिवाय), 42, 43 (उपशीर्ष 4303.10, 4303.90 और 4304.00), 44 (उपशीर्ष 4401.10, 4401.21, 4401.22, 4401.30, 4402.00, 4403.10, 4403.20, 4403.41, 4403.49, 4403.91, 4403.92, 4403.99, 4404.10, 4404.20, 4405.00, 4406.10, 4406.90, 4407.10, 4407.24, 4407.25, 4407.26, 4407.29, 4407.91, 4407.92 और 4407.99 के सिवाय), 45, 46, 48 (उपशीर्ष 4801.00 के सिवाय), 50 (उपशीर्ष 5003.10 और 5003.90 के सिवाय), 51 (उपशीर्ष 5101.21, 5101.30, 5109.10, 5109.90, 5110.00 और 5113.00), 52 (उपशीर्ष 5203.00, 5207.90, 5208.11, 5208.12, 5208.13, 5208.19, 5208.21, 5208.22, 5208.23, 5208.29, 5208.31, 5208.32 ,5208.33, 5208.39, 5208.43, 5208.49, 5209.11, 5209.12, 5209.19, 5209.21, 5209.22, 5209.29, 5209.31, 5209.32, 5209.39, 5209.41, 5209.43, 5209.49, 5210.11, 5210.12, 5210.19, 5210.21, 5210.22, 5210.29, 5210.31 ,5210.32, 5210.39, 5210.42, 5210.49, 5211.11, 5211.12, 5211.19, 5211.21, 5211.22, 5211.29, 5211.31, 5211.32, 5211.39, 5211.41, 5211.43, 5211.49, 5212.11, 5212.12, 5212.13, 5212.14, 5212.15, 5212.21, 5212.22 , 5212.23 और 5212.25), 53, 54 (उपशीर्ष 5408.10 और 5408.21), 55 (उपशीर्ष 5505.10, 5505.20, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11, 5513.12, 5513.13 , 5513.19, 5513.21, 5513.22, 5513.23, 5513.29, 5513.32, 5513.33, 5513.39, 5513.42, 5513.43, 5513.49, 5514.11, 5514.12, 5514.13 ,5514.19, 5514.21, 5514.22, 5514.23, 5514.29, 5514.31, 5514.33, 5514.42, 5514.43, 5514.49, 5515.12, 5515.13, 5515.21, 5515.22, 5515.91, 5515.92, 5516.11, 5516.12, 5516.13, 5516.21, 5516.22, 5516.23, 5516.31, 5516.32, 5516.33, 5516.34, 5516.41 ,5516.42, 5516.91 , 5516.92 और 5516.94), 56 (उपशीर्ष 5601.10, 5608.11, 5608.19, 5608.90 और 5609.00), 57 (उपशीर्ष 5701.10, 5701.90, 5702.10, 5702.20 , 5702.31, 5702.32, 5702.39 , 5702.41, 5702.42, 5702.49 , 5702.51, 5702.52, 5702.59 ,5702.91, 5702.92, 5702.99 , 5703.10, 5703.20, 5703.30, 5703.90 , 5704.10, 5704.90 और 5705.00), 58 (उपशीर्ष 5801.10, 5801.21, 5801.22, 5801.23, 5801.24, 5801.25, 5801.26, 5801.31, 5801.32, 5801.33, 5801.34, 5801.36, 5801.90, 5802.20, 5802.30, 5803.10 ,5803.90, 5804.10, 5804.21, 5804.29, 5804.30, 5805.00, 5806.10, 5806.20, 5806.31, 5806.39, 5806.40, 5808.10, 5810.10, 5810.91, 5810.92, 5810.99 और 5811.00), 59 (उपशीर्ष 5904.10, 5904.90, 5905.00, 5906.10, 5906.91, 5906.99, 5907.00, 5908.00, 5909.00, 5911.20, 5911.31, 5911.32, 5911.40 और 5911.90), 60 (उपशीर्ष 6001.92, 6005.21, 6005.22, 6005.23, 6005.24, 6005.31, 6005.32, 6005.33, 6005.34, 6005.41, 6005.42, 6005.43 और 6005.44 के सिवाय), 61 (उपशीर्ष 6101.10, 6101.20, 6101.30, 6101.90, 6102.10, 6102.20, 6102.30, 6102.90, 6103.11, 6103.12, 6103.19, 6103.21, 6103.22, 6103.23, 6103.29, 6103.31, 6103.32, 6103.33, 6103.39, 6103.41, 6103.42, 6103.43, 6103.49, 6104.11, 6104.12 , 6104.13, 6104.19, 6104.21, 6104.22, 6104.23, 6104.29, 6104.31, 6104.32, 6104.33 , 6104.39, 6104.41, 6104.42, 6104.43 , 6104.44, 6104.49, 6104.51, 6104.52, 6104.53, 6104.59, 6104.61, 6104.62, 6104.63, 6104.69, 6105.10, 6105.20, 6105.90, 6106.10, 6106.20, 6106.90, 6107.11, 6107.12, 6107.19, 6107.21, 6107.22, 6107.29, 6107.91, 6107.92, 6107.99, 6108.11, 6108.19, 6108.21, 6108.22, 6108.29, 6108.31, 6108.32, 6108.39, 6108.91, 6108.92, 6108.99, 6109.10, 6109.90, 6110.11, 6110.12, 6110.19, 6110.20, 6110.30, 6110.90, 6111.10, 6111.20, 6111.30, 6111.90, 6112.11, 6112.12, 6112.19, 6112.20, 6112.31, 6112.39, 6112.41, 6112.49, 6113.00, 6114.10, 6114.20, 6114.30, 6114.90, 6115.11, 6115.12, 6115.19, 6115.20, 6115.91, 6115.92, 6115.93, 6115.99, 6116.10, 6116.91, 6116.92, 6116.93, 6116.99, 6117.10, 6117.20, 6117.80 और 6117.90), 62 (उपशीर्ष 6201.11, 6201.12, 6201.13, 6201.19, 6201.91, 6201.92, 6201.93, 6201.99, 6202.11, 6202.12, 6202.13, 6202.19, 6202.91, 6202.92, 6202.93, 6202.99, 6203.11, 6203.12, 6203.19, 6203.21, 6203.22, 6203.23 , 6203.29, 6203.31, 6203.32, 6203.33, 6203.39,

6203.41, 6203.42, 6203.43, 6203.49, 6204.11, 6204.12, 6204.13, 6204.19, 6204.21, 6204.22, 6204.23 , 6204.29, 6204.31, 6204.32, 6204.33, 6204.39, 6204.41, 6204.42, 6204.43, 6204.44, 6204.49, 6204.51, 6204.52, 6204.53 , 6204.59, 6204.61, 6204.62, 6204.63, 6204.69, 6205.10, 6205.20, 6205.30, 6205.90, 6206.10, 6206.20, 6206.30, 6206.40, 6206.90, 6207.11, 6207.19, 6207.21, 6207.22, 6207.29, 6207.91 , 6207.92, 6207.99, 6208.11, 6208.19, 6208.21, 6208.22, 6208.29, 6208.91, 6208.92, 6208.99, 6209.10, 6209.20, 6209.30, 6209.90 , 6210.10, 6210.20, 6210.30, 6210.40, 6210.50, 6211.11, 6211.12, 6211.20, 6211.31, 6211.32, 6211.33, 6211.39, 6211.41, 6211.42 , 6211.43, 6211.49, 6212.10, 6212.20, 6212.30, 6212.90, 6213.10, 6213.20 , 6213.90, 6214.10, 6214.20, 6214.30, 6214.40, 6214.90, 6215.10, 6215.20, 6215.90, 6216.00, 6217.10, 6217.90, 63 (उपशीर्ष 6310.10 और 6310.90 के सिवाय), 64, 65, 66, 67, 68, 69 (उपशीर्ष 6902.10, 6902.20, 6902.90, 6903.10, 6903.20 और 6903.90 के सिवाय), 70 (उपशीर्ष 7019.19 और 7019.51 के सिवाय), 71, 73, 74, 75 (उपशीर्ष 7508.10 और 7508.90), 76, 78, 79, 80, 81 (उपशीर्ष 8104.11 और 8104.19 के सिवाय), 82, 83, 84 (उपशीर्ष 8407.31, 8407.32, 8407.33, 8407.34, 8408.20, 8409.91, 8409.99, 8414.30, 8414.51, 8414.59, 8414.80, 8414.90, 8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8415.90, 8418.21, 8418.22, 8418.29, 8418.91, 8418.99, 8422.11, 8422.19, 8422.90, 8423.10, 8448.19, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8451.10, 8451.90, 8452.10, 8452.90, 8469.12, 8469.20, 8469.30, 8472.10, 8472.20, 8472.30, 8472.90 , 8473.10, 8473.40, 8473.50, 8479.50, 8479.60, 8479.89, 8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.40, 8482.50, 8482.80, 8482.91, 8482.99, 8483.20, 8485.10 और 8485.90), 85 (उपशीर्ष 8504.10, 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50, 8506.60, 8506.80, 8506.90, 8507.10, 8507.20, 8507.30, 8507.40, 8507.80, 8507.90, 8509.10, 8509.20, 8509.30, 8509.40, 8509.80, 8509.90, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8510.90, 8511.10, 8511.20, 8511.30, 8511.40, 8511.50, 8511.80, 8511.90, 8512.10, 8512.20, 8512.30, 8512.40, 8512.90, 8513.10, 8513.90, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8519.10, 8519.21, 8519.29, 8519.31, 8519.39, 8519.40, 8519.92, 8519.93, 8519.99, 8520.10, 8520.32, 8520.33, 8520.39, 8520.90, 8521.10, 8521.90, 8522.10, 8522.90, 8523.11, 8523.12, 8523.13, 8523.20, 8523.30, 8523.90, 8524.10, 8524.31, 8524.32, 8524.39, 8524.40, 8524.51, 8524.52, 8524.53, 8524.60, 8524.91, 8524.99, 8525.30, 8525.40, 8526.10, 8526.91, 8526.92, 8527.12, 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.31, 8527.32, 8527.39, 8527.90, 8528.12, 8528.13, 8528.21, 8528.22, 8528.30 , 8531.10, 8531.80 ,8531.90 , 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 8538.10, 8538.90, 8539.10, 8539.21, 8539.22, 8539.29, 8539.31, 8539.32, 8539.39, 8539.41, 8539.49, 8539.90 , 8540.11, 8540.91, 8543.40, 8543.89, 8544.11, 8544.19, 8544.20, 8544.30, 8544.41, 8544.49, 8544.51, 8544.59, 8544.60, 8548.10 और 8548.90), 86 (उपशीर्ष 8607.11, 8607.12, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91, 8607.99 और 8608.00 के सिवाय), 87 (उपशीर्ष 8703.10, 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.90 8710.00, 8711.10, 8711.20, 8711.30, 8711.40, 8711.50 और 8711.90 के सिवाय), 88 (उपशीर्ष 8801.90, 8802.60, 8803.90, 8804.00, 8805.10, 8805.21 और 8805.29), 89 (उपशीर्ष 8902.00, 8904.00, 8905.10, 8905.90, 8906.10, 8906.90 और 8908.00 के सिवाय), 90 (उपशीर्ष 9001.10, 9001.20, 9001.30, 9001.40, 9001.50, 9001.90, 9002.11, 9002.19, 9002.20, 9002.90, 9003.11, 9003.19, 9003.90, 9004.10, 9004.90, 9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.10, 9006.20, 9006.30, 9006.40, 9006.51, 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 9006.62 9006.69, 9008.10, 9008.20, 9008.30, 9008.40, 9009.12 , 9009.22, 9009.30 9010.60 9022.19, 9022.29, 9022.30, 9022.90 और 9026.90), 91 (उपशीर्ष 9101.11, 9101.12, 9101.19, 9101.21, 9101.29, 9101.91, 9101.99, 9102.11, 9102.12, 9102.19, 9102.21, 9102.29, 9102.91, 9102.99, 9103.10, 9103.90, 9104.00, 9105.11, 9105.19, 9105.21, 9105.29, 9105.91, 9105.99, 9106.10, 9106.20, 9106.90, 9107.00, 9111.10, 9111.20, 9111.80, 9111.90, 9112.20, 9112.90, 9113.10, 9113.20 और 9113.90), 92, 93, 94, 95 (उपशीर्ष 9506.11, 9506.12, 9506.19, 9506.21, 9506.29, 9506.31, 9506.32, 9506.39, 9506.40, 9506.51, 9506.59, 9506.61, 9506.62, 9506.69, 9506.70, 9506.91, 9506.99, 9507.10, 9507.20, 9507.30 और 9507.90 के सिवाय), 96 और 97 (उपशीर्ष 9704.00 के सिवाय) और 98 (उपशीर्ष 9802.00, 9804.10, 9804.90, 9805.10 और 9805.90);

(ख) निम्नलिखित अध्यायों, शीर्षों और उपशीर्षों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत, आधारिक सीमाशुल्क को बढ़ाया जा सके, अर्थात्:-

अध्याय 9 (उपशीर्ष 0901.11, 0901.12, 0901.21, 0901.22, 0901.90, 0902.10, 0902.20, 0902.30, 0902.40, 0904.11, 0904.12, 0904.20, 0907.00, 0908.30), अध्याय 12 (उपशीर्ष 1207.91), अध्याय 29 (उपशीर्ष 2902.43) 40 (उपशीर्ष 4001.10), 72 (उपशीर्ष 7201.10, 7201.20, 7201.50, 7202.11, 7202.19, 7202.21, 7202.29, 7202.30, 7202.41, 7202.49, 7202.50, 7202.60, 7202.70, 7202.80, 7202.91, 7202.92, 7202.93 और 7202.99 के सिवाय) और 89 (उपशीर्ष 8908.00);

(ग) निम्नलिखित अध्यायों, शीर्षों और उपशीर्षों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत अधिमानी क्षेत्रों के लिए आधारिक सीमाशुल्क को कम किया जा सके, अर्थात्:-

अध्याय 8 (उपशीर्ष 0801.11, 0801.19, 0801.31, 0802.12, 0802.90, 0805.10, 0805.50, 0806.10, 0808.10, 0809.40, 0810.60 और 0810.90 के सिवाय), 9 (उपशीर्ष 0903.00, 0906.10, 0906.20 और 0908.10), 12 (उपशीर्ष 1201.10, 1202.10, 1202.20, 1204.00, 1205.10, 1205.90, 1206.00, 1207.10, 1207.20, 1207.30, 1207.40, 1207.50, 1207.60 और 1207.99), 13 (उपशीर्ष 1301.20), 25 (उपशीर्ष 2504.10 और 2504.90), 29 (उपशीर्ष 2936.10, 2936.21, 2936.22, 2936.23, 2936.24, 2936.25, 2936.26, 2936.27, 2936.28, 2936.29, 2936.90, 2937.11, 2937.12, 2937.19, 2937.21, 2937.22, 2937.23, 2937.29, 2937.31, 2937.39, 2937.40, 2937.50, 2937.90, 2939.41, 2939.42, 2939.43, 2939.49, 2939.51, 2939.59, 2941.10, 2941.20, 2941.30, 2941.40, 2941.50 और 2941.90), 30 (उपशीर्ष 3005.10, 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30, 3006.40, 3006.50, 3006.60, 3006.70 और 3006.80 के सिवाय), 34 (उपशीर्ष 3402.11, 3402.12, 3402.13 और 3402.19) और 38 (उपशीर्ष 3801.10, 3802.10 और 3812.10);

(घ) निम्नलिखित अध्यायों, शीर्षों और उपशीर्षों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बाबत अधिमानी क्षेत्रों के लिए आधारिक सीमाशुल्क को बढ़ाया जा सके, अर्थात्:-

अध्याय 5 (उपशीर्ष 0507.10), 7, 8 (उपशीर्ष 0802.90, 0806.10, 0808.10, 0810.60 और 0810.90), 9 (उपशीर्ष 0901.11, 0901.12, 0901.21, 0901.22, 0901.90, 0902.10, 0902.20, 0902.30, 0902.40, 0904.11, 0904.12, 0907.00 और 0908.30), 12 (उपशीर्ष 1207.91) और 15 (उपशीर्ष 1507.10, 1507.90, 1508.10, 1508.90, 1509.10, 1509.90, 1510.00, 1511.10, 1511.90, 1512.11, 1512.19, 1512.21, 1512.29, 1513.11, 1513.19, 1513.21, 1513.29, 1514.11, 1514.19, 1514.91, 1514.99, 1515.11, 1515.19, 1515.21, 1515.29, 1515.30, 1515.40, 1515.50 और 1515.90)।

उत्पाद-शुल्क

खंड 126 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्माण की कोटि के किसी माल के संबंध में कोई क्रियाकलाप विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

खंड 127 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि कांडला मुक्त व्यापार जोन और एसईईपीजेड के निर्देश को, जो अब विशेष

आर्थिक जोन हो गया है, उसमें से अपवर्जित कर "मुक्त व्यापार जोन" की परिभाषा में परिवर्तन किया जा सके ।

खंड 128 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को इस धारा के अधीन जारी की गई किसी छूट की अधिसूचना या आदेश के विस्तार या उसके लागू होने को स्पष्ट करने के लिए अधिसूचना या आदेश जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचना या आदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

खंड 129 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कक का संशोधन करने के लिए है जिससे कि शुल्क के विलंबित संदाय पर ब्याज की न्यूनतम दर को अठारह प्रतिशत से कम करके दस प्रतिशत किया जा सके ।

खंड 130 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कख का संशोधन करने के लिए है जिससे शुल्क के विलंबित संदाय के संबंध में ब्याज की न्यूनतम दर को अठारह प्रतिशत से कम करके दस प्रतिशत किया जा सके ।

खंड 131 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 16 और धारा 17 का लोप करने के लिए है क्योंकि ये उपबंध अब और अपेक्षित नहीं हैं।

खंड 132 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23घ का उससे "किसी निवासी आवेदक की दशा में के सिवाय" शब्दों का लोप करके संशोधन करने के लिए है जिससे कि ऐसे प्रश्नों को अंतर्ग्रस्त करने वाले आवेदनों को, जो किसी सीमाशुल्क अधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष आवेदक के मामले में पहले से लंबित हैं, या वैसा ही है जो सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के परिक्षेत्र से अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा पहले से विनिश्चित हैं अपवर्जित किया जा सके ।

खंड 133 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अध्याय 4 का लोप करने के लिए है क्योंकि ये उपबंध अब अपेक्षित नहीं हैं।

खंड 134 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग का संशोधन करने के लिए है जिससे कि,-

(i) उस समय अवधि को, जिसके दौरान गलती के सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है, चार वर्ष से कम करके छह मास किया जा सके ;

(ii) तीन वर्ष की समय सीमा का उपबंध करने के लिए जिसके भीतर अपील अधिकरण द्वारा अपील का विनिश्चय किया जाना चाहिए, जहां यह संभव हो और यह भी उपबंध करने के लिए कि ऐसे मामलों में जहां अधिकरण द्वारा रोक आदेश पारित कर दिया गया है वहां अपील का निपटारा करने की समय सीमा एक सौ अस्सी दिन होगी और मामले का निपटारा न होने की दशा में रोक आदेश स्वतः शून्य हो जाने का उपबंध किया गया है।

खंड 135 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ का संशोधन करने के लिए है जिससे कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश के पुनर्विलोकन की अवधि को, जहां यह संभव हो, एक वर्ष से कम करके छह मास किया जा सके।

खंड 136 - भूतलक्षी रूप से तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, कच्चा पेट्रोलियम तेल आधारित माल को छूट से अपवर्जित करने के लिए है, जो पूर्वोत्तर में औद्योगिक एककों को लागू होता है।

खंड 137 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कट के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का भूतलक्षी रूप से तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है ।

खंड 138 - केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूचियों का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (i) उक्त पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि,-

(क) निम्नलिखित अध्याय, और उपशीर्ष संख्यांक के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत उत्पाद-शुल्क को कम किया जा सके, अर्थात्:-

"अध्याय 9 (उपशीर्ष सं. 0902.00);" ;

(ख) निम्नलिखित अध्याय, शीर्ष संख्यांक और उपशीर्ष संख्यांक के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत उत्पाद-शुल्क को बढ़ाया जा सके, अर्थात्:-

"अध्याय 24 (उपशीर्ष सं. 2402.00, 2403.31 और 2403.32), 30 (उपशीर्ष सं. 3004.10), 40 (उपशीर्ष सं. 4011.10 और 4013.10), 44 (उपशीर्ष सं. 4410.19 और 4410.90), 48 (उपशीर्ष सं. 4820.00, 4821.00 और 4823.20), 59 (उपशीर्ष सं. 5906.10), 61 (उपशीर्ष सं. 6101.00 और 6102.00), 66 (उपशीर्ष सं. 6601.00 और 6602.00), 68 (उपशीर्ष सं. 6807.20), 70 (उपशीर्ष सं. 7011.10 और 7012.10), 73 (उपशीर्ष सं. 7326.21), 74 (उपशीर्ष सं. 7418.10), 82 (उपशीर्ष सं. 8215.00), 84 (उपशीर्ष सं. 8413.11, 8413.12, 8413.13, 8413.14, 8413.20, 8413.91, 8414.10, 8414.20, 8414.91, 8481.20, 8481.92 और 8483.10), 85 (उपशीर्ष सं. 8524.32), 87 (उपशीर्ष सं. 8712.00), 90 (उपशीर्ष सं. 9018.00, 9019.00 और 9022.10), 94 (उपशीर्ष सं. 9405.10 और 9406.00) और 95 (उपशीर्ष सं. 9501.00, 9502.00, 9503.00);

(ग) अध्याय टिप्पणों और टैरिफ विशिष्टियों को संशोधित किया जा सके जिससे कि,-

(i) अध्याय 17 में अध्याय टिप्पण 4 अंतःस्थापित किया जा सके जिससे कि शीर्ष सं. 17.02 के उत्पादों के संबंध में "विनिर्माण" शब्द को परिभाषित किया जा सके;

(ii) अध्याय 36 में एक नया उपशीर्ष 3605.10 अंतःस्थापित किया जा सके जिससे कि बंगाल लाइटों पर 16% उत्पाद शुल्क की दर विनिर्दिष्ट की जा सके;

(iii) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में उस निर्देश को हटाया जा सके जिसे अध्याय 40 में 1 जुलाई, 2001 से विखंडित कर दिया गया है;

(iv) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के संबंध में शुल्क की रियायती दर से माल का हटाया जाना) नियम, 2001 को समाविष्ट किया जा सके, जिसने अध्याय 48 के उपशीर्ष टिप्पण में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के सुसंगत उपबंधों को 1 जुलाई, 2001 से अधिक्रान्त किया है;

(v) अध्याय 61 में, अध्याय टिप्पण 3 और टिप्पण 4 अंतःस्थापित किया जा सके जिससे कि "ब्रांड नाम" परिभाषित किया जा सके और यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि कतिपय प्रक्रियाएं क्रमशः विनिर्माण की कोटि में आती हैं;

(vi) अध्याय 73 में अध्याय टिप्पण 4 अंतःस्थापित किया जा सके जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि गाल्वनीकरण की प्रक्रिया " विनिर्माण" की कोटि में आती है;

उपखंड (ii) उक्त दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि शीर्ष सं. 25.02, 33.04, 33.05, 33.07, 43.01, 89.03, 89.07, 93.02, 93.03,93.04, 93.05, 93.06, 93.07 और 96.05 का लोप किया जा सके।

खंड 139 - अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उपशीर्ष सं. 5207.20, 5208.20, 5209.10, 5406.10, 5407.10, 5511.10, 5512.10, 5513.10, 5514.10, 5801.21, 5801.31, 5802.21, 5802.31, 6002.10 और 6002.20 के अंतर्गत आने वाले माल पर शुल्क को बढ़ाया जा सके ।

खंड 140 - संघ के प्रयोजनों के लिए आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर उत्पाद-शुल्क के रूप में उसमें विनिर्दिष्ट दर पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए है ।

खंड 141 - वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 का संशोधन करने के लिए है जिससे 16 जुलाई, 2001 को भूतलक्षी रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए खंड 141 के अधीन किसी प्रसारण एजेंसी या संगठन द्वारा दी गई सेवा पर सेवा-कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 65 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट करने के लिए ऐसी तारीख के रूप में नियत किया जा सके ।

खंड 142 - सेवा-कर के उद्ग्रहण से संबंधित उक्त अधिनियम के अध्याय 5 का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क), (ख) और (ग) सेवा-कर से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 65 और धारा 66 का प्रतिस्थापन और धारा 67 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि निम्नलिखित द्वारा दी गई सेवाओं पर कर का उद्ग्रहण किया जा सके, -

(i) सौन्दर्य उपचार सेवा से संबंधित कोई ब्यूटी पार्लर;

(ii) केबल सेवाओं से संबंधित कोई केबल आपरेटर;

(iii) माल संभलाई से संबंधित कोई माल संभलाई अभिकरण;

(iv) निर्जल धुलाई से संबंधित कोई निर्जल धुलाईकर्ता;

(v) वृत्तांत प्रबंधन से संबंधित कोई वृत्तांत प्रबंधक;

(vi) फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई फैशन डिजाइनर;

(vii) स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता से संबंधित कोई हेल्थ क्लब और कोई शारीरिक योग्यता केन्द्र;

(viii) जीवन बीमा कारबार से संबंधित कोई बीमांकक;

(ix) माल के भंडारण और गोदाम से संबंधित कोई भंडारण या गोदामपाल;

(x) रेल द्वारा यात्रा के लिए किसी बुकिंग से संबंधित कोई रेल यात्रा अभिकर्ता;

(xi) जीवन बीमा कारबार से संबंधित बीमा सहायक सेवा के संबंध में कोई बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता;

(xii) बैंककारी और वित्तीय सेवाओं से संबंधित कोई निगमित निकाय (बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था से भिन्न जिसमें गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी है);

सेवा प्रदाता उपलब्ध कराई गई, यथास्थिति, कक्षीकार या ग्राहक या अभिदाता या पालिसीधारक या किसी अन्य व्यक्ति पर प्रभारित कुल रकम पर पांच प्रतिशत की दर से उपर्युक्त सेवा पर सेवा-कर उद्गृहीत करने के लिए है ।

उपखंड (घ) उक्त अधिनियम की धारा 73 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि हेतुक दर्शित करने की बात पर समय सीमा की संगणना करने के लिए उस धारा के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत तारीख" शब्दों को परिभाषित किया जा सके, उस दशा में जहां फाइल की गई विवरणी या फाइल न की गई विवरणी का निर्धारण अनंतिम है और जहां किसी राशि का भूल से प्रतिदाय कर दिया गया है । यह हेतुक दर्शित करने की सूचना जारी करने के लिए परिसीमा अवधि को छह मास से बढ़ाकर एक वर्ष करने के लिए है ।

उपखंड (ङ) उक्त अधिनियम की धारा 75 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सेवा-कर के विलंब से किए गए संदाय पर पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज विहित किया जाए ।

उपखंड (च) उक्त अधिनियम की धारा 78 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उन मामलों में जहां कराधेय सेवा का मूल्य दबाया गया है या छिपाया गया है या अशुद्ध मूल्य दो लाख रुपए से अधिक है वहां शास्ति के न्यायनिर्णयन के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना, शक्ति प्रदान की जा सके ।

उपखंड (छ) उक्त अधिनियम की धारा 82 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं के अभिग्रहण के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त को प्राधिकृत किया जा सके ।

उपखंड (ज) उक्त अधिनियम की धारा 83 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सेवा-कर से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11घ को लागू किया जा सके ।

उपखंड (झ) उक्त अधिनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को उस दशा में जहां उपभोग की गई सेवाएं और उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवा की उसी कोटि में आती है, वहां कराधेय सेवा को उपलब्ध कराने के लिए उपभोग की गई सेवाओं पर संदत्त सेवा-कर के प्रत्यय का उपबंध करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी जा सके ।

उपखंड (ञ) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 95 अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को विधेयक के अध्याय 5 में सम्मिलित कराधेय सेवा और मूल्य की परिधि को स्पष्ट करने के लिए उस तारीख से जिसको कराधेय सेवा पर सेवा-कर का उद्ग्रहण प्रवृत्त हुआ है, दो वर्ष की अवधि के भीतर स्पष्ट करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति दी जा सके ।

केंद्रीय विक्रय कर

खंड 143 - यह खंड, संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (29क) को ध्यान में रखते हुए, "विक्रय" पद की परिधि का विस्तार करने के लिए, "विक्रय" की परिभाषा को प्रतिस्थापित करने के लिए केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 का खंड (छ) प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

खंड 144 - यह खंड केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 6क का संशोधन करने के लिए है जिससे कि व्यौहारी द्वारा प्ररूप 'च' का दिया जाना अनिवार्य किया जा सके और ऐसे मामलों में जिनमें व्यौहारी प्ररूप 'च' नहीं देता है, कर के उदग्रहण को प्राधिकृत किया जा सके ।

खंड 145 - यह खंड केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है जिससे,-

(i) यह उपबंध किया जा सके कि सरकार और रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों को माल के विक्रय की दशा में केन्द्रीय विक्रय कर, स्थानीय विक्रय कर से अधिक नहीं होता है;

(ii) ऐसे मामलों में, जिनमें माल स्थानीय विक्रय कर से छूट प्राप्त हैं, केन्द्रीय विक्रय कर से छूट के लिए उपबंध किया जा सके;

(iii) छूट प्राप्त माल के सिवाय व्यौहारी द्वारा प्ररूप 'ग' का दिया जाना अनिवार्य बनाया जा सके;

(iv) "दूरसंचार नेटवर्क" को ऐसे माल के प्रवर्ग में सम्मिलित किया जा सके, जो कर के उद्ग्रहण, आदि के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

(v) प्ररूप 'ग' की अपेक्षा को समाप्त करने की राज्य सरकार की शक्तियों को वापस लिया जा सके।

खंड 146 - यह खंड राज्य सरकार को, घोषित माल के विक्रय की बाबत एक से अधिक प्रक्रमों पर घोषित माल पर कर अधिरोपित करने के लिए अनुज्ञात करने की दृष्टि से धारा 15 के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 147 - भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि नए मेघदूत पोस्ट कार्ड आरंभ करने और उसकी डाक महसूल की दर तथा कतिपय अंतर्देशीय डाक सेवाओं, अर्थात् पत्रों, पत्र-कार्डों, मुद्रित पोस्ट कार्डों, प्रतियोगिता पोस्ट कार्डों, पुस्तक पैटर्न और सैम्पल पैकेटों और पार्सलों के लिए डाक महसूल की दरों के पुनरीक्षण का उपबंध किया जा सके ।

ये पुनरीक्षित दरें, वित्त विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात्, ऐसी तारीख से प्रभावी होंगी, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे ।

खंड 148 - भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43क का लोप करने के लिए है।

उक्त अधिनियम की धारा 43क में यह उपबंध है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को, ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों या शेयरों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिनमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय लाभांश के किसी ब्याज पर आय-कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 149 - साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 35क का लोप करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 35क में यह उपबंध है कि भारतीय साधारण बीमा निगम या उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गईं स्कीमों के आधार पर बनाई गई चार नई कंपनियों को, ऐसे निगम या ऐसी कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों या शेयरों की बाबत, जिन पर उनका स्वामित्व है या जिनमें ऐसे निगम या ऐसी कंपनी का पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय लाभांश के किसी ब्याज पर आय-कर की कटौती नहीं की जाएगी।

उक्त धारा का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा ।

खंड 150 - तेल उद्योग (विकास) बोर्ड अधिनियम, 1974 की धारा 22क का लोप करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 22क में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम, 1961 में किसी बात के होते हुए भी, तेल उद्योग विकास बोर्ड अपनी आय, लाभों या अभिलाभों पर आय-कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का लोप किया जाए जिससे कि तेल उद्योग विकास बोर्ड को अपनी आय, लाभों या अभिलाभों पर आय-कर के संदाय के लिए दायी बनाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 151 - तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने के लिए है जिससे कच्चे तेल पर उद्गृहीत अधिभार बढ़ाया जा सके।

खंड 152 - राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 44 का लोप करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 44 में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम, 1961 या आय, लाभों या अभिलाभों पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अपनी आय, व्युत्पन्न लाभों या अभिलाभों की बाबत आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का लोप किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अपनी आय, व्युत्पन्न लाभों या अभिलाभों की बाबत आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने के लिए दायी बनाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 153 - प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 22 का लोप करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 22 में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम, 1961 या आय, लाभों या अभिलाभों पर आय-कर या किसी अन्य कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), निगम की निधि से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली किसी आय, लाभों या अभिलाभों या उस निधि में प्राप्त की गई किसी रकम की बाबत और निगम द्वारा व्युत्पन्न किसी आय, लाभों या अभिलाभों या प्राप्त की गई किसी रकम पर किसी आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का लोप किया जाए, जिससे कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) को उसकी निधि से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली किसी आय, लाभों या अभिलाभों या उस निधि में प्राप्त की गई किसी रकम और उसके द्वारा व्युत्पन्न किसी आय, लाभों या अभिलाभों या प्राप्त की गई किसी रकम की बाबत आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने के लिए दायी बनाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।